

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: एफ. 1(17)शिक्षा/ग्रुप-3/2018पार्ट

जयपुर, दिनांक:-04.01.2021

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.12.2020 के अधिक्रमण में राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित प्राचार्य/उप-प्राचार्यों का, उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान/महाविद्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कहां से (राजकीय महाविद्यालय)	कहां को (राजकीय महाविद्यालय)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री एल.पी. महावर	कालाडेर	फलोदी	रिक्त पद पर
2	श्री अशोक कुमार सामरिया	दौसा	टोंक	श्री वजरंग लाल मीणा के स्थान पर
3	श्रीमती सुनिता जैन	आर.आर. अलवर	मुण्डावर, अलवर	श्री हुकुम सिंह के स्थान पर
4	श्री हुकुम सिंह	मुण्डावर, अलवर	आर.आर. अलवर	श्रीमती सुनिता जैन के स्थान पर
5	श्री बजरंग लाल मीणा	टोंक	दौसा	श्री सामरिया के स्थान पर
6	श्री सुप्रतीक पाठक	पाली	भीम, राजसमंद (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
7	श्री दीपक मेहरा	किशनगढ़	अजमेर (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
8	श्रीमती संगीता सुनेजा	झालावाड	वाणिज्य कन्या कोटा (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
9	श्री अरविन्द कश्यप	चित्तौड़गढ़	मेडता सिटी (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	रिक्त पद पर
10	श्री गोपाल कृष्ण सोनी	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।	किशनगढ़, अजमेर (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	श्री दीपक मेहरा के स्थान पर
11	श्री कल्याण सिंह रावत	हिण्डोन सिटी	पाली (प्राचार्य पद के विरुद्ध)	श्री सुप्रतीक पाठक के स्थान पर

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2020 द्वारा श्री रामगोपाल मीणा, प्राचार्य का राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर एवं श्री यदु गोपाल शर्मा, प्राचार्य का राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1()पीएस/आकाशि/20/1139

दिनांक: 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर अविलम्ब आयुक्तालय को सूचित करें।
4. वेबसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर. सी. मौना)

संयुक्त निदेशक(एचआरडी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।